# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
**पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या : 38 / 2024
दायर दिनांक : 07 / 10 / 2022
निर्णय दिनांक : 11 / 11 / 2024

**उनवान**

1. महेश कुमार पिता स्व. शान्तिलाल बापना निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर
2. रेखा पुत्री स्व. शान्तिलाल बापना निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

**अप्रार्थी**

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थिति :** 1. श्री कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता प्रार्थी

**:: निर्णय ::**

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हम प्रार्थीगण के पिता शान्तिलाल पिता धनराज जी बापना के नाम आ.सं. 249 रकबा 0.22 है. खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उपरोक्त आराजियात में से कृषि से आबादी में रूपान्तरित करवाई जो मिसल नंबर 05/2017 दिनांक 03.04.2017 को 0.1017 है. आबादी में रूपांतरित की गई। बाद आबादी रूपांतरण नामान्तरण संख्या 1367 फैसल दिनांक 17.04.2017 से मूल आ.नं. 249 में बाद नामान्तरण नये नंबर बने जिसके हाल आराजी नं. 249 रकबा 0.1017 है. किस्म आबादी में रूपांतरित की गई एवं शेष रकबे में से आ.नं. 2800/249 रकबा 0.06 है. खाता सं. 547 में हम प्रार्थीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात में दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार हाल आ.नं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. खाता सं. 723 हम प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात में दर्ज रिकार्ड है तथा आ.नं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. मुख्य सड़क पर रास्ते हेतु समर्पण की गई। वजह सबूत हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकलें, नामांतरण सं. 1367 की प्रमाणित नकल, आबादी में रूपांतरण [illegible] की प्रमाणित नकले प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रा.पत्र की कॉलम सं. 1 में वर्णित आराजियात बाद आबादी में रूपांतरण होने के नामान्तरण सं. 1367 एवं प्रमाणित ब्लू प्रिंट के अनु[illegible]त.ह. भूपालसागर द्वारा नामान्तरण खोला जाकर अलग–अलग जमाबंदी जारी की गई लेकिन संबंधित कर्मचारियों की त्रुटि से हाल नक्शे, ब्लू प्रिंट अनसार कायम न कर कम्प्यूटर ऑनलाइन नक्शे में त्रुटि करते हुऐ हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज हाल आ.सं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. किस्म बा. 2 की कृषि आराजियात

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

का हाल कम्प्यूटर नक्शें में आ.सं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. किस्म रास्ता की जगह दर्शाया गया है तथा रास्ते की भूमि को खातेदारी आराजियात में दर्शाया गया है, जो गलत है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के हाल नक्शे, नामांतरण सं. 1367 एवं ब्लू प्रिंट के अनुसार कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त किया जाकर के प्रार्थीगण के आ.सं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. दक्षिण दिशा में तथा आ.सं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. किस्म रास्ता को आबादी में रूपांतरित भूमि के सामने पश्चिम दिशा में लाईन खींचकर दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा कम्प्यूटर नक्शे में सुधार कर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। वजह सबूत पटवार हल्का भूपालसागर द्वारा जारी हाल नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, हाल कम्प्यूटर नक्शा की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त त्रुटि के कारण हम प्रार्थीगण के पिता द्वारा आबादी रूपातरित भूमि का प्लाट के रूप में विक्रय कर दिया है। प्लाट केताओं के सामने छोड़ी गई रास्ते की भूमि की जगह हम प्रार्थीगण की खातेदारी आ.सं. 2801/249 का इन्द्राज होने की वजह से प्लाट केताओं के द्वारा कम्प्यूटर की त्रुटि वाला नक्शा दिखाकर हम प्रार्थीगण को शिकायत कर नक्शे को दुरूस्त करवाये जाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो जायज एतराज है। दिनांक 05.07.2024 को नामांतरण संख्या 1367 की प्रमाणित नकल, हाल जमाबंदी की प्रमाणित नकल व हाल कम्प्यूटर नक्शा दिनांक 25.07. 2024 को प्राप्त करने से त्रुटि की जानकारी हुई व दिनांक 05.07.2024 को पटवार हल्का भूपालसागर से आबादी रूपांतरित ब्लू प्रिंट एवं नक्शे की प्रमाणित नकल प्राप्त करने से त्रुटि की जानकारी हुई इस कारण प्रा. पत्र दिनांक 25.07.24 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. एक में वर्णित हम प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात आ.नं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. को हाल आ.नं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. किस्म रास्ता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड के हाल नक्शे एवं आबादी रूपांतरित ब्लू प्रिंट के अनुसार कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गए। बाद सम्मन तामिल अप्रार्थी तहसीलदार, भूपालसागर का जवाब पेश हुआ, जो कि शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात आ.नं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. को हाल आ.नं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. किस्म रास्ता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड के हाल नक्शे एवं आबादी रूपांतरित ब्लू प्रिंट के अनुसार कम्प्यूटर ऑनलाईन नक्शे को दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार, भूपालसागर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया कि ग्राम भूपालसागर के आ.सं. 249 रकबा 0.22 का सेग्रीगेशन से नक्शा परिवर्तन होने से भू.अ.नि. भूपालसागर से जांच व राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम भूपालसागर की मूल आ.सं. 249 का आवासीय संपरिवर्तन होने से जरिये ना.सं. 1367 से नवीन आ.सं. 249 रकबा 0.1017 है. आबादी आ.सं. 2801/249 रकबा 0.0236 है. आ.2 एवं आ.सं. 2802/249 रकबा 0.0347 है. भूमि रास्ता दर्ज हुई संलग्न साईट प्लान एवं सेग्रीगेशन पूर्व नक्शे में आ.सं. 249 की दक्षिण दिशा में आ.सं. 2801/249 रकबा 0.0236 एवं पश्चिम दिशा में 2802/249 रकबा 0.0347 है. सरेण्डर रास्ता दर्ज रिकार्ड था। सेग्रीगेशन के पश्चात नवीन नक्शे में अशुद्धि होने से मूल आ.सं. 249 की दक्षिण दिशा में 2802/249 अंकित कर दि[illegible]चम दिशा में अंकित होने चाहिये थे तथा पश्चिम दिशा में आ.सं. 2801/249 दर्ज कर [illegible]क्षिण दिशा में होने चाहिये थे। ये दोनों नंबर एक दूसरे के स्थान पर दर्ज होने चाहिए थे। [illegible] रकबे में एवं खाते में किसी प्रकार का रकबा में परिवर्तन नहीं होगा। आ.सं. 249 की दक्षिण दिशा में आ.सं. 2801/249 को रास्ता दर्शाया गया है वो साईट प्लान अनुसार नहीं होना चाहिये थे। यह रकबा कमी आ.सं. 249 में शामिल होने पर पूर्ण होगा, नजरी नक्शे संलग्न है। अतः आ.सं. 2801/249 के बजाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

मकाम

2802/249 दर्ज किये जाये एवं आ.सं. 2802/249 के स्थान पर आ.सं. 2801/249 दर्ज किये जावे ,आ.सं. 249 मी. की दक्षिण की सीमा लाईन हटा दिये जाने से सेग्रीगेशन पूर्व की तरह नक्शा पूर्ण होकर शुद्ध हो जायेगा।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंर्तगत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भूपालसागर की आ.सं. 2801/249 के बजाय 2802/249 व आ.सं. 2802/249 के स्थान पर आ.सं. 2801/249 दर्ज किये जावे तथा आ.सं. 249 मी. की दक्षिण की सीमा लाईन हटा दिये जाने से सेग्रीगेशन पूर्व की तरह नक्शा पूर्ण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:36 IST
Reason: SelfAttested